राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"

– : : न्यायालय सहायक कलक्टर (एस डी ओ), नागौर : : –

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 134 / 2013

प्रार्थीगण

1. नरसीराम पुत्र श्री मेघाराम
2. रामनारायण पुत्र श्री मेघाराम
3. रामचन्द पुत्र श्री मेघाराम
4. परसाराम पुत्र श्री मेघाराम
5. भंवरी बेवा मेघाराम
6. हजारीराम पुत्र श्री सुरजाराम
7. अमराराम पुत्र श्री सुरजाराम
8. सोहनराम पुत्र श्री सुरजाराम
9. भागचन्द पुत्र सांवलाराम
10. हडमानराम पुत्र सांवलाराम
11. रामनिवास पुत्र अमलाराम
12. जगदीश पुत्र अमलाराम
13. भंवरी बेवा पतराम
14. सुनील पुत्र पतराम
15. सुरेश पुत्र पतराम
16. महीराम पुत्र पतराम
17. श्यामसुन्दर पुत्र पतराम
18. धर्माराम पुत्र पतराम प्रार्थी संख्या 16, 17 व 18 नाबालिग जरिये माता भंवरीदेवी पत्नि श्री पतराम
19. सोनी बेवी धूकलराम
20. मुन्नीराम पुत्र धूकलराम
21. राजाराम पुत्र धूकलराम
22. हजारीराम पुत्र रामरख
23. बुधाराम पुत्र रामरख
24. पूनमचंद पुत्र रामरख
25. रूकमा बेवा रामरख
26. गणपतराम पुत्र रामूराम
27. हजारीराम पुत्र रामूराम
28. भागीरथ पुत्र धन्नाराम
29. हेतराम पुत्र धन्नाराम
30. बीरबलराम पुत्र समेाराम
31. धुडाराम पुत्र बिशनाराम
32. नरसीराम पुत्र बिशनाराम
33. रामकुंवार पुत्र बिशनाराम जातियान विश्नोई निवासीगण चेनासर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर।
34. रामेश्वरलाल पुत्र मगनीराम जाति ब्राह्मण निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।
35. हरिराम पुत्र बक्साराम
36. गोमती बेवा मदनलाल
37. भंवरलाल पुत्र मदनलाल
38. राकेश पुत्र मदनलाल
39. महीराम पुत्र मदनलाल
40. रामकैलाश पुत्र मदनलाल

बनाम

अप्रार्थीगण

1 स्वरूपराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी फतेहसर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।
2 रामप्यारी पत्नि श्री रेवन्तराम
3 श्रीकृष्ण पुत्र श्री रेवन्तराम
4 भगवानचन्द पुत्र श्री रेवन्तराम
5 रामजीवण पुत्र श्री रेवन्तराम
6 श्यामसुन्दर पुत्र श्री रेवन्तराम
7 बजरंगलाल पुत्र श्री रेवन्तराम
8 मंगाराम पुत्र श्री आसूराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।
9 शंकरलाल पुत्र श्री बीरूराम जाति विश्नोई नि... फतेहसर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।
10 राज्य जरिये तहसीलदार जी, नागौर, राजस्थ...

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

41. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मदनलाल
42. सुशीला पुत्री मदनलाल
43. लक्ष्मी पुत्री श्री मदनलाल
प्रार्थी संख्या 40 रामकैलाश, 41 राजेन्द्र प्रसाद व 43 लक्ष्मी नाबालिग जरिये माता गोमती देवी पत्नि श्री मदनलाल जातियान विश्नोई निवासीगण चेनासर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।
44. फुसाराम पुत्र हरभजन
45. भंवरी पत्नि भंवरलाल
46. गणपतराम पुत्र रामलाल उर्फ रामरतन
47. बस्तीराम पुत्र रामलाल उर्फ रामरतन
48. लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल उर्फ रामरतन जातियान विश्नोई निवासीगण चेनासर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।

आवेदन पत्र अधीन धारा 251ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक :–08.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थीगण ग्राम चेनासर (सथेरण) तहसील व जिला नागौर के निवासीगण हैं। ग्राम चेनासर की आबादी के लिए कोई भूमि नही हैं, ग्राम चेनासर के निवासीगण अपने खेतो में बनी ढाणियों में पीढियों से निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की ढाणियों के पास कस्बा श्रीबालाजी आया हुआ हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, पुलिस थाना, पशु चिकित्सालय, पानी, बस स्टेण्ड व रेल्वे से संबंधित सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रार्थीगण नित्यप्रति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा से ग्राम श्रीबालाजी से आवागमन करते आ रहे हैं।

2 यह हैं कि, ग्राम अलाय से मुकाम जाने वाली डामर सडक से फटकर एक ग्रेवल सडक धर्मशाला कुआं की तरफ जाती हैं, उक्त ग्रेवल सडक के साथ पश्चिम में खेत खसरा नं. 676 आया हुआ है। जहां से रास्ता ग्राम श्रीबालाजी के लिए शुरू होकर खेताय खसरा नम्बर 678, 674, 709/657, 657, 658, 659, 721/659, 661, 1138/662, 662, 650, 649, 648, 1157/648, 612, 720/612, 598 एवं खसरा नम्बर 597 वाके मौजा चेनासर (सथेरण) एवं खेत खसरा नम्बर 587 वाके मौजा श्रीबालाजी में से होता हुआ, आगे उतर में ग्राम फतेहसर से श्रीबालाजी जाने वाली डामर सडक से मिलता है।

3 यह है कि, उक्त रास्ते में अप्रार्थी संख्या 1 स्वरूपराम का खेत खसरा नम्बर 676 बीघा 16 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 1 ता 5 का खेत खसरा नम्बर 678 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 6 ता 8 का खेत संख्या खसरा नम्बर 674 रकबा 61 बीघा 10 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 9 का खेत खसरा नम्बर 657 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 10 का खेत खसरा नम्बर 709/657 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 11 ता 18 का खेत खसरा नम्बर 658 रकबा 114 बीघा 13 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 19 ता 21 का खेत खसरा नम्बर 721/659 रकबा 35 बीघा, प्रार्थीगण संख्या 22 ता 25 का खेत खसरा नम्बर 661 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 26 का खेत खसरा नम्बर 1138/662 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 27 का खेताय खसरा नम्बर 662 रकबा 24 बीघा एवं खसरा नम्बर 650 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 28 व 29 का खेत खसरा नम्बर 649 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 30 का खेत खसरा नम्बर 648 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा, प्रार्थीगण संख्या 31 ता 33 का खेत खसरा नम्बर 1157/648 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 34 का खेत खसरा नम्बर 612 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा, प्रार्थीगण संख्या 35 ता 43 का खेत खसरा नम्बर 720/612 रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 44 का खेत खसरा नम्बर 598 रकबा 102 बीघा 06 बिस्वा, प्रार्थीगण संख्या 45 ता 48 का खेत खसरा नम्बर 597 रकबा 58 बीघा वाके मौजा चेनासर (सथेरण) एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 का खेत खसरा नम्बर 587

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा श्रीबालाजी स्थित रहते चले आये हैं। पक्षकारान के उपरोक्त खेताय में से होकर चले आ रहे कदीमी/पुश्तैनी रास्ते का उपयोग व उपभोग पक्षकारान एवं अन्य ग्राम के आम निवासीगण ट्रेक्टर, ऊंट, छकडे आदि से व पशुओं आदि को लाने ले जाने से केवल मात्र यही एक रास्ता है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण के लिए यह रास्ता अत्यन्त आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थीगण की ओस से यह आवेदन प्रस्तुत है।

4 यह है कि, वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान उक्त रास्ते को डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। यह रास्ता खेत खसरा नम्बर 676 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर स्थित कटाणी मार्ग से शुरू होकर आगे उत्तर–पश्चिम में ग्राम श्रीबालाजी की सरहद पर स्थित खेत खसरा नम्बर 597 तक दर्शाया हुआ रहता चला आया है। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने भूलवश अथवा अन्य किसी कारणवश इसे कटाणी मार्ग नहीं बनाया गया था, उक्त रास्ता कटाणी मार्ग स्वीकृत न होने से राज्य सरकार की ओर से जनहित में आवागमन के लिए ग्रेवल सडक अथवा डामर सडक बनाया जाना सम्भव नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5 यह है कि, पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की ओर से अपने खेत खसरा नम्बर 587 रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा श्रीबालाजी में रास्ते पर अवरोध उत्पन्न कर प्रार्थीगण को रास्ते से होकर आवागमन करने पर आनाकानी करने पर प्रार्थीगण की ओर से दीवानी वाद न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में प्रस्तुत किया गया था, जो दीवानी वाद संख्या (58/73) 125/73 बअनवान वादीगण रामूराम वगैरह बनाम प्रतिवादीगण आसुराम वगैराह बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.04.1976 को निर्णीत कर डिक्री किया गया। बाद में स्वयं पीठासीन अधिकारी मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रास्ते का भौतिक निरीक्षण कर रास्ते को परम्परागत मानते हुए आदेश दिया गया कि उक्त रास्ते से हर प्रकार से आवागमन करने व कराने से प्रार्थीगण वगैराह को नहीं रोका जावे। इस प्रकार से इस विवादित रास्ता के संबंध में मुन्सिफ न्यायालय का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है।

6 यह है कि, रास्ता बिना किसी रोक टोक के चालू रहता चला आया है। परन्तु रास्ते की जमीन पर काश्तकारान का मालिकाना हक होने से एंव रास्ता कटाणी न होने से रास्ते पर ग्रेवल एवं डामर सडक का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। गत वर्षों में नरेगा के तहत रास्ते को सडक के लिए मिटटी का कार्य करवाया गया था तथा कुछ दूरी तक ग्रेवल भी डाली गई थी, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उजर, एतराज करने पर कार्य बीच में ही रोक दिया गया। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से रास्ते की घोषणा के लिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हो गया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 9 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये गये थे। निश्चित समय अवधि में उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 9 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2014 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 8 के नोटिस समाचार पत्र में छाया करवाये गये थे फिर भी कोई उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 3 से 8 के विरूद्ध दिनांक 08.02.2016 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मामले में तहसीलदार नागौर से रास्ते बावत रिपोर्ट तलब की जो भू.अ.नि. श्रीबालाजी के द्वारा मौका रिपोर्ट बनाकर दिनांक 08.06.2016 को प्रस्तुत हुई। मामला राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र सथेरण "न्याय आपके द्वार" में पेश हुआ।

भू.अ.नि. श्रीबालाजी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता करीब 3 कि.मी. लम्बा है। मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है। रास्ते का नाप मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क बी जो श्रीबालाजी से शुरू होकर मार्ग अ चेनासर तक लम्बा रास्ता की मांग की है। उक्त लम्बे रास्ते में ज्यादा खेत प्रार्थीगण के आते है एवं जो रास्ते की कीमत देना नही चाहते है। मात्र ग्राम चेनासर के खसरा नम्बर 676 में रास्ते पेटे 5 बिस्वा भूमि खातेदार रामस्वरूप पुत्र कानाराम विश्नोई एवं ग्राम श्रीबालाजी के खसरा नम्बर 587 मे से 13 बिस्वा भूमि की कीमत रामप्यारी पत्नी रेंवतराम वगैरा को देनी है। अतः भू.अ.नि. श्रीबालाजी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार क्रमशः 1 से 22 तक के निम्न खातेदारान

के खेतो की सारणी निम्न प्रकार से है :–

क.सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रस्तावित रास्ते में जाने वाला रकबा	खातेदार
1	चैनासर	676	5.16	0.05	स्वरूपराम पुत्र कानाराम विश्नोई
2	चैनासर	678	43.10	1.12	नरसीराम,रामनारायण,रामचन्द्र पिता मेघाराम, भोली पत्नी मेघाराम
3	चैनासर	725/674	36.05	0.12	हजारीराम पुत्र सुरजनराम विश्नोई
4	चैनासर	474/674	25.05	1.00	सोहनराम पुत्र सुरजनराम विश्नोई
5	चैनासर	709/657	16.17	0.14	हडमानराम पुत्र सांवलाराम विश्नोई
6	चैनासर	657	18.13	1.00	भागचन्द पुत्र सांवलराम विश्नोई
7	चैनासर	658	114.13	1.15	रामनिवास वगैराह पिता अमलाराम, सुनील वगैरा पिता पतराम विश्नोई
8	चैनासर	721/659	35.00	1.10	मुन्नीराम वगैरा पिता धोकलराम
9	चैनासर	661	46.13	0.12	हजारीराम वगैरा पिता रामरख
10	चैनासर	113/662	20.03	0.19	गणपतराम पिता रामूराम विश्नोई
11	चैनासर	662	24.00	0.18	हजारीराम पिता रामूराम विश्नोई
12	चैनासर	650	11.12	0.0.01	हजारीराम पिता रामूराम विश्नोई
13	चैनासर	651	53.15	0.0.01	भागीरथ, हेतराम पिता धन्नाराम
14	चैनासर	649	30.10	0.11	भागीरथ पुत्र धनाराम विश्नोई
15	चैनासर	6491	30.10	0.11	हेतराम पुत्र धनाराम विश्नोई
16	चैनासर	648	17.08	0.16	बीरबलराम पुत्र सोहनराम विश्नोई
17	चैनासर	1157/648	17.07	0.16	धुडाराम वगैरा पुत्र विश्नाराम
18	चैनासर	720/612	38.16	1.00	भंवरलाल वगैरा पुत्र मदनराम विश्नोई
19	चैनासर	612	40.06	1.00	रामेश्वरलाल पुत्र मगनीराम ब्राह्मण श्रीबालाजी
20	चैनासर	598	102.06	1.09	फूसाराम पुत्र हरभजराम विश्नोई
21	चैनासर	597	58	2.05	भंवरलाल वगैरा पुत्र रामलाल विश्नोई
22	श्रीबालाजी	587	50.19	0.13	रामप्यारी पत्नी रेंवतराम, श्रीकृष्ण वगैरा पिता रेंवतराम, गंगाराम पुत्र आसुराम ब्राह्मण, शंकरलाल पुत्र विरूराम विश्नोई

उपरोक्त सारणी में क्र.सं. 2 से 21 तक दर्ज खातेदार प्रार्थीगण है एवं उन्ही के खेतो मे से उक्त रास्ता घोषित किया जाना है। उक्त प्रार्थीगण रास्ते पेटे की राशि नही लेना चाहते है। सारणी में दर्ज क्र.सं. 1 व 22 अप्रार्थीगण खातेदारो को ही रास्ते की भूमि में जाने वाले रकबे की राशि दी जानी है। उक्त भू.अ.नि. श्रीबालाजी के द्वारा रास्ते पेटे भिजवाई गई मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क बी (श्रीबालाजी) से मार्क ए तक नजरी नक्शे मे लाल स्याही से अंकित अनुसार 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भू.अ.नि. श्रीबालाजी द्वारा तैयार की गई। मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। ग्राम चैनासर (सथेरण) स्थित खेत खसरा नम्बर 676 के दक्षिणी पूर्वी कोने से ग्रेवल सड़क से शुरू होकर खेताय खसरा नम्बर 678, 674, 657, 709/657, 658, 721/659, 661, 1138/662, 662, 650, 649, 648, 1157/648, 612, 720/612, 598 व 597 मौजा चैनासर से आगे खेत खसरा नम्बर 587 मौजा श्रीबालाजी की उतरी सीमा के साथ–साथ स्थित डामर सड़क तक नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही से मार्क ए से बी तक 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते मे जाने वाले रकबा ग्राम चैनासर के खसरा नम्बर 676 रकबा 5.16 बीघा मे रास्ते पेटे जाने वाली 0.05 बीघा की कीमत ग्राम चैनासर के ग्रामीण रास्ते की डीएलसी दर 14400/– रूपये की दर 5 बिस्वा भूमि के 3600 रूपये के दो गुना के हिसाब से कुल 7200/– रूपये खेत के खातेदार स्वरूपराम पुत्र कानाराम विश्नोई निवासी फतेहसर (सथेरण) को

सहायक कलक्टर
(... ओ.) नागौर

देय होगे एवं ग्राम श्रीबालाजी के खसरा नम्बर 587 रकबा 50.19 बीघा मे से रास्ते पेटे भूमि 0.13 बीघा की कीमत ग्राम श्रीबालाजी मे ग्रामीण रास्ते की डीएलसी दर 24000/- रूपये के हिसाब 0.13 बीघा भूमि की कीमत 15600/- रूपये के दो गुणा रेट के हिसाब 31200/- रूपये बनते है जो ग्राम श्रीबालाजी के खसरा नम्बर 587 के सहखातेदार रामप्यारी पत्नी रेंवतराम, श्रीकृष्ण, भगवानचन्द, रामजीवण, श्यामसुन्दर, बजरंगलाल पुत्रगण रेंवतराम जाति ब्राह्मण एवं गंगाराम पुत्र आसुराम कौम ब्राह्मण, शंकरलाल पुत्र विरूराम कौम विश्नोई को देय होगी।

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त रास्ते पेटे जमीन की कीमत के रूपये तहसीलदार नागौर के कार्यालय में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार नागौर नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करावे एवं मौका रिपोर्ट में क्र.सं. 1 से 22 मे दर्ज खेताय में से क्र.सं. 5 में अंकित रास्ते पेटे जाने वाली भूमि का रकबा मूल खसरो मे से कम करावे। मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न होगा।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 08.06.2016 को मजमे आम अटल सेवा केन्द्र सथेरण में खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर